

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-17102025-266976
SG-DL-E-17102025-266976असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 16, 2025/आश्विन 24, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 289
No. 51]	DELHI, THURSDAY, OCTOBER 16, 2025/ASVINA 24, 1947	[N. C. T. D. No. 289

भाग II—I
PART II—Iराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2025

सं. 86/नियम/दि.उ.न्या.— दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 (1966 का 26वाँ) की धारा 7 सहपठित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 225 तथा लेटर पेटेंट के खंड 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस सम्बन्ध में इसे समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय नियम एवं आदेश, खंड 5, अध्याय 1 के मौजूदा भाग च को निम्नलिखित नए भाग च के साथ सहर्ष प्रतिस्थापित करता है:

भाग च

अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशिकाएं

उच्च न्यायालय द्वारा लेटर पेटेंट के खंड 27 के अधीन, अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत न्यायालय द्वारा जारी आदेशिकाओं हेतु आदेशिका फ्रीस के भुगतान को विनियमित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित नियम बनाए गए हैं -

1. आदेशिका फ़ीस के भुगतान की राशि और समय- (क) आदेशिका फ़ीस, जिसकी राशि निर्धारित की जाएगी, याचिका/ अपील/ आवेदन दाखिल करते समय याचिकाकर्ता/ अपीलकर्ता/ आवेदक से एक बार वसूल किया जाएगा, चाहे प्रत्यर्थी/ प्रतिवादी/ विपक्षी पक्षों की संख्या कुछ भी हो। आदेशिका फ़ीस, जिसकी राशि निर्धारित की जाएगी) प्रत्येक प्रतिवादी/ विपक्षी पक्ष से भी उत्तर/ प्रत्युत्तर/ प्रतिक्रिया दाखिल करने के समय एक बार वसूल किया जाएगा।
(ख) यदि किसी पक्ष को प्रकाशन, ढोल पिटवाने, चस्पा करने, आयोग आदि के व्यय वहन करने का निर्देश दिया गया हो, तो वह राशि उक्त आदेश की तिथि से सात दिनों के भीतर या तत्क्षण जमा कराई जाएगी।
(ग) देय आदेशिका फ़ीस दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।
2. व्यतिक्रम की स्थिति में कार्यवाही- यदि एकमुश्त आदेशिका फ़ीस जमा करने का प्रमाण याचिका / उत्तर / आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया गया है, तो ऐसी याचिका को त्रुटिपूर्ण और अननुपालन मानते हुए विधमान नियमों के अनुसार त्रुटि सुधार हेतु वापस किया जाएगा।
नोट: यह संशोधन राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

न्यायालय के आदेशानुसार,
अरुण भारद्वाज, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI NOTIFICATION

Delhi, the 15th October, 2025

No. 86/Rules/DHC.—In exercise of the powers conferred by Section 7 of Delhi High Court Act, 1966 (Act 26 of 1966) read with Article 225 of the Constitution of India, Clause 27 of the Letters Patent and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Delhi, hereby substitutes the existing Part F of Chapter 1 of Volume V of Delhi High Court Rules & Orders, by the following new Part F :-

Part F

PROCESSES ISSUED BY THE HIGH COURT IN THE EXERCISE OF ITS JURISDICTION

The following rules have been made by the High Court under clause 27 of the Letters Patent constituting the High Court, for regulating the payment of process fee for processes issued by the Court in exercise of its jurisdiction—

1. **Amount and time for payment of process fee** —(a) Process fees, in a sum to be determined, shall be collected one time from the petitioner/ appellant/ applicant at the time of institution of the petition/ appeal/ application, irrespective of the number of respondents/ defendants/ opposite parties. Process fee, in a sum to be determined, shall be collected one time from the respondent/ opposite party at the time of filing the reply/ counter affidavit/ response.
(b) In case a party is burdened with payment of expenses towards publication, beat of drums, affixation, commission etc. the same shall be forthwith deposited and no later than seven days of the date of the order.
(c) The process fee payable shall be notified by the High Court of Delhi.
2. **Action on default**— If proof of deposit of one-time process fee does not accompany the petition/ reply/ application, the same shall be considered defective and non-compliant and returned for removal for defects in accordance with extant Rules.

NOTE: THESE AMENDMENTS SHALL COME INTO FORCE FROM THE DATE OF THEIR PUBLICATION IN THE GAZETTE.

By Order of the Court,
ARUN BHARDWAJ, Registrar General